न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 127/2017

वादीः–	बनाम	प्रतिवादीगणः–
1. झूमरलाल पुत्र रमजीराम जाति–मेघवाल, निवासी बलून्दा तहसील–जैतारण, जिला–पाली		1. बुधराराम पुत्र परमाराम बावरी 2. भुण्डाराम पुत्र परमाराम बावरी 3. सोहनिया पुत्र पाबूदान बावरी जातियान–बावरी, निवासी–बलून्दा तहसील–जैतारण, जिला–पाली 4. तहसीलदार, जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.23/06/2017

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉक–24/10/2019

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा–बलून्दा, पटवार हल्का–बलून्दा तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1566/2 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। जिसमें वादी 1/3 वे हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार है। नकल चालू जमाबंदी इस आराजी की वादपत्र के पेश है। इस आराजी को वादपत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। वादी ने विवादित भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के ढगलिया पुत्र पाबुदान से खरीद की थी, उक्त भूमि खरीद करने के पूर्व से ही ढगलिया व उसके भाईयों के बीच आपसी सहमति से बंटवाड़ा हो रखा था वादी ने वादग्रस्त भूमि खरीद करने के बाद मौके पर ढगलिया के कब्जे वाली भूमि पर ही अपना कब्जा प्राप्त किया था एवं राजस्व रेकर्ड में अपने नाम का जरिये म्यूटेशन के अंकन करवाया था इस प्रकार से वादी ने कुल 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि खरीद की थी। वादी द्वारा उक्त विवादित भूमि खरीद किये जाने के बाद इस भूमि के नाम चौप व बंटवाड़ा को लेकर प्रतिवादीगण विवाद कर रहे है। जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा कराने का निवेदन किया तब प्रतिवादीगण बंटवाड़ा करवाने का कहते रहे इसी दौरान राजस्व कैम्प बलून्दा में वादी ने बंटवाड़ा बाबत् सम्पूर्ण पत्रावली तैयार करवाई व उसमें प्रतिवादीगण से सहमति के आधार पर बंटवाड़ा करने का कथन करने पर प्रतिवादीगण इंकार हो गये उसके बाद दिनांक 15/5/2017 को भी इस विवादित भूमि का बंटवाड़ा कराने से स्पष्ट इंकार हो गये जबकि वादी अपने हक हिस्से की भूमि पर काली मिट्टी, जिप्सम आदि डालकर उसको उपजाऊ बनाकर काश्त करना चाहते है। जिसमें प्रतिवादीगण बाधा व अड़चन पैदा कर रहे है। वादी को अपने हक हिस्से की भूमि पर बैंक से साख पत्र बनवाने हेतु भी विवादित भूमि का बंटवाड़ा आवश्यक है। लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा नही मानने एवं आराजी के बंटवाड़ा को लेकर के वाद विवाद भी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

करने पर वादी के पास ऐसी विषम परिस्थितियों में यह वादपत्र बाबत् बंटवाड़ा का पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत् बंटवाड़ा विरूद्व प्रतिवादीगण के पेश है। विवादित भूमि में से 1/3 वे हिस्से की भूमि रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा वादी ने जरिये पंजीबद्व विक्रय विलेख के खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया एवं वर्तमान में तिल्ली की फसल बोई है जो पक कर के तैयार है लेकिन अब प्रतिवादीगण इस फसल को लेकर के भी विवाद कर रहे है एवं लड़ाई, झगड़ा कर वादी की फसल काटने में भी बाधा व अड़चन डाल रहे है। इस प्रकार से यदि प्रतिवादीगण अपने दुष्कृत्य में सफल हो जाते है तो वादी अपनी खरीदसुदा आराजी में खडी फसल प्राप्त नहीं कर पायेगा जिससे वादी को भारी नुकसान व अपूर्णीय क्षति होगी। एवं यही अंदेशा भविष्य में भी रहेगा वादी प्रतिवादीगण के ऐसे अवैध कृत्यों का विरोध करेगा जिससे विवाद बढेगा व मल्टीप्लीसीटी ऑफ प्रोसेडिंग्स होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्व प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 4 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी है। जो बंटवाड़ा के वादपत्र में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये है। जिनके विरूद्व वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व 2 माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। परन्तु नोटिस देने में लम्बा समय लगने की संभावना है इसलिए नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वादपत्र अनुमति लेकर के प्रस्तुत किया जा रहा है अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र धारा 80(2) सीपीसी का अलग से सादर पेश है। बिनाय वाद दिनांक 18/5/2017 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी के 1/3 हिस्से की उक्त विवादित आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा कराने से स्पष्ट इंकार करने व कब्जा काश्त में दखलंदाजी करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली में उत्पन्न होता है। जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रति0 03 की ओर से वकालतनामा पेश किया, सा0मि0 हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 एवं 4 को बावजूद तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 03 को अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी जबाबदावा पेश नहीं करने से जबाबदावा बन्द किया जाता हैं। वादी के वाद के समर्थन में अपना साक्ष्य का शपथ-पत्र पेश किया, जिसे सा0मि0 किया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। वादी अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा चाहता हैं। लिहाजा वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-बलून्दा, पटवार हल्का-बलून्दा तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1566/2 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2018/758 दिनांक 01/08/2018 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2018/416 दिनांक 14/01/2019 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–बलून्दा, पटवार हल्का–बलून्दा तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1566/2 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म	लगान
1	झुमरलाल पुत्र रमजीराम कौम मेघवाल सा.देह खातेदार	1566/4	02-10	बारानी अव्वल	1.55
2	बुधाराम भूण्डाराम पि. परमाराम सोहनलाल पुत्र पाबूदान कौम बावरी सा.देह खातेदार	1566/2	05-01	बारानी अव्वल	3-13
	योग	**2**	**07-11**		**4-68**

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 24/10/2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

वादी:- बनाम प्रतिवादीगण:-

1. झूमरलाल पुत्र रमजीराम
जाति-मेघवाल, निवासी बलून्दा
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

1. बुधराराम पुत्र परमाराम बावरी
2. भुण्डाराम पुत्र परमाराम बावरी
3. सोहनिया पुत्र पाबूदान बावरी
जातियान-बावरी, निवासी-बलून्दा
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
4. तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 127/2017

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री महेन्द्र प्रजापत अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-बलून्दा, पटवार हल्का-बलून्दा तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1566/2 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म	लगान
1	झुमरलाल पुत्र रमजीराम कौम मेघवाल सा.देह खातेदार	1566/4	02-10	बारानी अव्वल	1.55
2	बुधाराम भूण्डाराम पि. परमाराम सोहनलाल पुत्र पाबूदान कौम बावरी सा.देह खातेदार	1566/2	05-01	बारानी अव्वल	3-13
	योग	2	07-11		4-68

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 24/10/2019 को जारी किया गया ।

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी जैतारण पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		

Scanned by CamScanner

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
महनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमीश्नर
बाबत ईजराय हुक्मनामा

स्टाम्प अर्जी
महनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमीश्नर
बाबत ईजराय हुक्मनामा
मुत्फरिक

मिजानः–

मिजानः–

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2019.11.05 16:57:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: